

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.विद्याशंकर चौहान पुत्र राजेन्द्र चौहान सा0 महाराजपुर थाना खुखुन्दू, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 16.09.2020 को थानाध्यक्ष मदनपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर सेमरापुल बंधा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.मो0 अरशद पुत्र महताब अहमद सा0 फरीदपुर थाना मदनपुर, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 16.09.2020 को थानाध्यक्ष खामपार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर जयपुर टोला खामपार से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.सुरेन्द्र मौर्या पुत्र हरंगी मौर्या सा0 खामपार टोला जयपुर थाना खामपार, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04. थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 16.09.2020 को थानाध्यक्ष भाटपार रानी के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बहियारी बघेल स्कूल के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.भोलू कुमार पुत्र रामकृपाल ठाकुर सा0 नैनहा थाना बनकटा, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

05.थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 16.09.2020 को थानाध्यक्ष गौरी बाजार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना करमाजीत प्राथमिक विद्यालय पोखरा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.रोहित साहनी पुत्र स्व0 दयानन्द साहनी सा0 करमाजीतपुर थाना गौरीबाजार, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

06. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 16.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

07. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 16.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 217 वाहनों से 161400 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

